# डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
# DR. A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY
## (Formerly UP Technical University)

**सेक्टर–11, जनकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031** Sector-11, Jankipuram Extionsion Yojna , Lucknow


पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / स्था0 / 2023 / 18333 दिनांकः 25 जनवरी, 2023

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक
विश्वविद्यालय, लखनऊ के घटक एवं सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषय–सड़क सुरक्षा माह मनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांकः 126123 / सोलह–1–2023 दिनांकः 13.01.2023 के साथ संलग्न गृह(पुलिस) अनुभाग–2 के पत्र संख्याः 15 / छः–पु–2–2023–1100(41) / 2022, दिनांकः 05.01.2023 तथा परिवहन अनुभाग–3 के पत्र संख्याः ई–189 / तीस–3–2022, दिनांकः 27.12.2022(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें निर्देशित किया गया है कि सुरक्षित एवं सुगम यातायात हेतु तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने / जनमानस को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में तिथिवार निर्धारित संलग्न कार्यक्रम के अनुसार दिनांकः 05.01.2023 से 04.02.2023 तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि सड़क सुरक्षा माह के सम्बन्ध में शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय

23/01/23

(डा0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
2. व्यवस्थाधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को विश्वविद्यालय परिसर में उपरोक्तानुसार सड़क सुरक्षा माह मनाये जाने हेतु।
3. स्टाफ ऑफिसर, मा0 कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(डा0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

महत्वपूर्ण

13543 /जी/2022 संख्या-ई-189/तीस-3-2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त पुलिस आयुक्त, उ०प्र०।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।

क्रमांक-40

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर, 2022

विषयः- दिनांक 05.01.2023 से 04.02.2023 तक "सड़क सुरक्षा माह" मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के सम्बन्ध में जनमानस के प्रति जागरूकता लाये जाने के उद्देश्य से दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 18.06.2022 तक "विशेष सड़क सुरक्षा माह" का आयोजन किया गया था।

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव,
गृह, गोपन, वीजा पासपोर्ट,
एवं सतर्कता विभाग, उ०प्र० शासन।

सुरक्षित एवं सुगम यातायात हेतु सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके निमित्त जनमानस को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किया जाना आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 05.01.2023 से 04.02.2023 तक "सड़क सुरक्षा माह" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न कार्यक्रम के अनुसार "सड़क सुरक्षा माह" के अन्तर्गत विभिन्न आयोजनों एवं गतिविधियों को सफल बनाने हेतु यथा आवश्यक संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 27-12-2022 11:03:
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

(महेन्द्र सिंह)
उप सचिव
गृह विभाग

03/01/2023

(राकेश कुमार मालपानी)
विशेष सचिव,
गृह एवं कारागार प्रशासन सुधार विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

DS(MS) 4.1.23

04/1/23

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मा० परिवहन मंत्री जी, उ०प्र० शासन।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-गृह विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
6. परिवहन आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सड़क सुरक्षा माह को सफल बनाने के लिए सम्बन्धित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें तथा उक्त कार्य हेतु अलग से किसी प्रकार का बजट देय नहीं होगा।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०स० परिवहन निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, यातायात, उ०प्र० लखनऊ।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी - यूपीडा / उपशा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, एन.एच.ए.आई.-(पूर्वी/पश्चिमी) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु समुचित उपाय करना सुनिश्चित करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल० वेंकटेश्वर लू)

प्रमुख सचिव।

2297153/2023/ -3

**अतिमहत्वपूर्ण/शीर्षप्राथमिकता/फैक्स/ई-मेल**

संख्या-15 /छः-पु-2-2023-1100(41)/2022

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या.......प्रमुख सचिव/व्या.शि.कौ.वि./प्रा.शि., 2022

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/लखनऊ/प्रयागराज/गाजियाबाद/आगरा, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

**गृह (पुलिस) अनुभाग-2** **लखनऊ दिनांक 05 जनवरी, 2023**

विषयः दिनांक 05.01.2023 से 04.02.2023 तक "सड़क सुरक्षा माह" मनाये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

संख्या 07 प्रमुख सचिव/व्या.शि.कौ.वि./प्रा.शि./2023

VS(K)/V8/11

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिवहन अनुभाग-3 के पत्र संख्याः ई-189/तीस-3-2022, दिनांक 27.12.2022 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि सुरक्षित एवं सुगम यातायात हेतु तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने/जनमानस को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में तिथिवार निर्धारित संलग्न कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 05.01.2023 से 04.02.2023 तक "सड़क सुरक्षा माह" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

05.01.23
(सुनील कुमार त्रिपाठी)
निजी सचिव,
प्राविधिक शिक्षा

2- इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश के क्रम में "सड़क सुरक्षा माह" मनाये जाने हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं:-

1. सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण/पार्किंग तथा अवैध रूप से संचालित आटो/टैक्सी/बस स्टैण्ड के विरूद्ध विशेष ध्यान देते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करायी जाए। यदि सड़कों के किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े किये जाए तो नगर निकाय/विकास प्राधिकरणों, परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा क्रेन आदि लगाकर नियमानुसार जब्त किये जाने की कार्यवाही की जाए।
2. यह सुनिश्चित किया जाय कि सार्वजनिक मार्गों पर आवागमन बाधित न होने पाये।
3. बड़े शहरों के इंट्री प्वाइंट पर वाहन न खड़े होने दिया जाए तथा सड़को के किनारे स्थित पार्किंग सुविधा रहित ढाबों पर वाहन खड़े पाये जाने पर सम्बन्धित ढाबा मालिकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
4. फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना कोई भी वाहन यथा स्कूल बस, प्राइवेट बस, परिवहन विभाग की बसें, प्राइवेट कान्ट्रेक्ट बसें, ट्रक, दो पहिया व चार पहिया इत्यादि वाहनों का संचालन न होने पाए।
5. वाहनों की ओवर लोडिंग रोकी जाए। अवैध पार्किंग/स्टैण्ड संचालको के विरूद्ध अभियान चलाकर गैंगस्टर/गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही कर अवैध

संख्या-30/VS(K&S)/2023
U.S
(कृपा शंकर सिंह)
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
06/1/2023

वसूली से अर्जित की गयी सम्पत्ति भी नियमानुसार जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

6. एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग की सड़को, नगर मार्गों एवं सभी अन्य सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध एक सघन अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
7. सूचना विभाग द्वारा यातायात नियमों के सम्बन्ध में आकर्षक हैण्डबिल तत्काल तैयार कराकर हर जनपद के स्कूलों के निकट/सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करने एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम के निकट आम आदमी में वितरण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।
8. स्कूली छात्र/छात्राओं को यातायात के नियमो की जानकारी देने हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विद्यालयों एवं संस्थानों के प्रधानाचार्यों/प्राचार्यों को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से प्रत्येक विद्यालय/संस्थान में छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों का बोध कराया जाए।
9. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने तथा सड़को पर स्टंट न करने हेतु जागरूक किया जाए। स्कूलों में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में डिबेट/निबन्ध लेखन/प्रभात फेरी आदि क्रियाकलापों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए। रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना प्रत्येक विद्यालय/संस्थान में करायी जाए तथा स्वैच्छिक संगठनो को भी जागरूकता अभियान से जोड़ा जाए।
10. परिवहन विभाग द्वारा आनलाइन लाइसेन्स निर्गत करते समय टेस्ट ट्रैक पर टेस्ट ड्राइव कराकर ड्राइविंग क्षमता का आकलन करने के उपरान्त ही नियमानुसार ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गत किया जाए। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में दलालों के प्रवेश पर पूर्णतया अंकुश लगाते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
11. सूचना विभाग द्वारा यातायात नियमों के सम्बन्ध में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग लगायी जाए। एफ0एम0 रेडियो के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों का समुचित प्रचार-प्रसार कराया जाए। इस कार्य में गृह, परिवहन, लोक निर्माण एवं शिक्षा विभाग का सहयोग प्राप्त किया जाए ।
12. ओवर लोडिंग रोकने हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर ट्रकों का निर्धारित क्षमता के अनुसार ही लोड होना सुनिश्चित किया जाए। अवैध खनिज परिवहन/ओवर लोडिंग रोकने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाए ।
13. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग ब्लैक स्पाट चिन्हित करें तथा स्कूल, बाजार, महत्वपूर्ण स्थल, स्पीड लिमिट, मोड़ इत्यादि दर्शित करते हुए पर्याप्त संख्या में साइनेज बोर्ड लगाए। सड़को के टोल प्लाजा पर ओवर स्पीड चेक की जाए तथा ब्रेथ-एनेलाइजर से जांच भी की जाए।

14. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य समाप्त होने के पश्चात विद्यालय परिसर में अभिभावकों की बैठक कराकर सड़क सुरक्षा के नियमों के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी देते हुए जागरूक किया जाए।
15. घायल व्यक्तियों को गोल्डेन आवर में ट्रामा सेन्टर तक पहुंचाने हेतु स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेन्स सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
16. यूपी-112 के पी0आर0वी0 वाहनों द्वारा नियमित मोबाइल पेट्रोलिंग एवं फुट पेट्रोलिंग सुनिश्चित करायी जाए।
17. यातायात पुलिस को प्रत्येक चौराहे पर तैनात किया जाए तथा उनके सहयोग हेतु होमगार्ड एवं पी0आर0डी0 जवानों को तैनात किया जाए।
18. यातायात पुलिस/परिवहन/भूतत्व एवं खनिकर्म/जी0एस0टी0 तथा अन्य विभागीय कर्मियों द्वारा अवैध वसूली का प्रकरण प्रकाश में आने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए।
19. नगर की सड़को के किनारे खड़े होने वाले ट्रकों एवं अवैध पार्किंग स्थलों से सड़कों को मुक्त कराया जाए।
20. स्पीड ब्रेकर्स को टेबल टॉप आकार का बनाकर सुव्यवस्थित कराया जाए।
21. अनाधिकृत टैक्सी स्टैण्ड या ऐसे अन्य व्यवधानों को त्वरित दूर कराया जाए।
22. ट्रैफिक प्वाइंट पर जेब्रा क्रासिंग की मार्किंग ऐसे जंक्शन वाली जगहों पर किसी भी प्रकार के अनाधिकृत व्यवधान या अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए।
23. यातायात में व्यवधान बनने वाली बेतरतीब होर्डिंग्स को हटाया जाए ।
24. नगर की सड़कों पर से सब्जी मण्डी या वेडिंग जोन को यथा सम्भव हटाकर नगर विकास के खाली प्लाटों में स्थापित कराते हुए उन्हें व्यवस्थित कराया जाए ।
25. नगर की सड़कों पर नगर के उपयुक्त साइनेज (मार्ग दर्शक बोर्ड) लगाये जाए।
26. सड़कों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था, आटोमैटिक मोड में जलने वाली स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करायी जाए।
27. सड़कों के गड्ढों (Potholes) को ठीक कराते हुए सड़को का सुशोभन कराया जाए।
28. सफाई-व्यवस्था को चालू रखते हुए और असरदार बनाया जाए।
29. यथायोग्य होर्डिंग तथा अन्य प्रचार साहित्य से लोगों में जन जागृति बढ़ायी जाए।
30. वर्तमान में रात्रि के समय अत्यधिक कोहरा हो जाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावना बढ़ गयी है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रत्येक वाहन के आगे और पीछे लगी लाईटें दुरूस्त एवं रात्रि के समय जलती हुई स्थिति में हों।
31. रात्रि के समय वाहन सड़क के किनारे खड़े न हों, यदि किसी विशेष कारण से कोई वाहन सड़क पर या सड़क के किनारे खड़े होने की अपरिहार्यता हो, तो स्थानीय पुलिस कि यह जिम्मेदारी होगी कि वे उस वाहन को हटाने का समुचित प्रबन्ध करें।
32. किसानो को इस सम्बन्ध में जागरूक किये जाने हेतु ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम चलायें जायें कि ट्रैक्टर-ट्रालियों में सवारियां न ढोई जाय।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सड़क सुरक्षा माह के सम्बन्ध में उक्त दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा परिवहन विभाग के उक्त पत्र दिनांक 27.12.2022 के साथ संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत विभिन्न आयोजनों एवं गतिविधियों को सफल बनाने हेतु यथा आवश्यक सम्बन्धित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/नगर विकास/लोक निर्माण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/राजस्व/भूतत्व एवं खनिकर्म/सूचना/वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा/उपशा ।
5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को अपने स्तर से भी कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को अपने स्तर से भी कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, सड़क सुरक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी-112, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
13. प्रभारी मीडिया सेल, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मालपाणी)
विशेष सचिव।

# दिनांक-05.01.2023 से 04.02.2023 तक मनाये जाने वाले "सड़क सुरक्षा माह" के कार्यक्रम की रूपरेखा

| क्र0 सं0 | दिनांक | दिन | परिवहन विभाग (परिवहन निगम सहित) | पुलिस विभाग | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग | शिक्षा विभाग | समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल- लो0नि0वि0) | सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-01-2023 | गुरूवार | उद्घाटन एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण- समस्त जनपद, समस्त विभाग।<br>(1) एल.ई.डी. वाहन/प्रचार रथ का हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ ।<br>(2) कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों /वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधन व उद्घाटन।<br>(3) सड़क सुरक्षा जागरूकता संबंधी पोस्टर, स्टीकर, हैंडबिल एवं पम्पलेट का जन-मानस में वितरण।<br>(4) पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से प्रचार-प्रसार।<br>(5) सड़क सुरक्षा से संबधित वीडियो को शिक्षा विभाग की सभी ऑनलाइन कक्षाओं में दिखाया जाना।<br>(6) सी0आर0आर0आई0 दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षण के प्रवक्ताओं/प्राचार्यो का सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबधित ऑनलाइन प्रशिक्षण | | | | | | |
| 2 | 06-01-2023 | शुक्रवार | सभी जनपदीय कार्यालयों के कर्मचारी एवं अधिकारियों का सड़क सुरक्षा के संबध में आनलाइन प्रशिक्षण दिया जाना। ड्राइविंग रेगुलेशन, 2017 एवं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के बारे में अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना। | यातायात कर्मियों के कार्य व्यवहार, टर्न आउट व आचरण में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाये एवं यातायात पुलिस कर्मियों को यातायात संकेतों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाय। ड्राइविंग रेगुलेशन, 2017 एवं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के बारे में अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना। | जिला अस्पतालों में वाहन चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण किया जाना। | सी0आर0आर0आई0 दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षण के प्रवक्ताओं/प्राचार्यो का सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबधित ऑनलाइन प्रशिक्षण | समस्त सड़क निर्माण विभाग/एजेंसी के मुख्यालय द्वारा अपने समस्त अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंताओं का सी0आर0आर0आई, किसी आई0आई0टी0 अथवा मोर्थ द्वारा नामित संस्था के द्वारा सड़क सुरक्षा के संबध में ऑनलाइन संवेदीकरण/ प्रशिक्षण, जिसमें ब्लैक स्पॉट के अल्पकालिक सुधारीकरण पर विशेष बल दिया जाये। | सभी सरकारी विज्ञापनों (दूरदर्शन, होर्डिंग तथा समाचार पत्र) में सड़क सुरक्षा संबंधी नारों का प्रकाशन। एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों संबंधी ऑडियो-विडियो सामाग्री का प्रसारण। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 07-01-2023 | शनिवार | जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन तथा बैठक में सड़क सुरक्षा माह के आयोजन पर विशेष बल देकर कार्यक्रमों को आयोजन कराना। | | उच्च शिक्षण संस्थानों में गठित रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत एन0एस0एस0 के छात्रों द्वारा पोस्टर एवं रंगोली प्रतियोगिता। | जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन तथा बैठक में सड़क सुरक्षा माह के आयोजन पर विशेष बल देकर कार्यक्रमों का आयोजन कराना। | |
| 4 | 08-01-2023 | रविवार | स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हेल्थ कैम्प का आयोजन, जिसमें चालकों/परिचालकों, यातायात पुलिस कर्मियों/प्रवर्तन सिपाहियों एवं स्कूली वाहन चालकों का स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण | | | | |
| 5 | 09-01-2023 | सोमवार | ट्रैक्टर मालिकों एवं चालकों को प्रशिक्षित किया जाये तथा उन्हें रेलवे क्रांसिग पर ट्रैक्टर पार करने एवं मोड़ पर ट्रैक्टर चलाने के संबध में जागरूक किया जाये।<br>ट्रैक्टर ट्रॉली पर गन्ना मिल तथा स्वयं सेवी संस्थाओं तथा अन्य संस्थान/कम्पनी से प्रायोजित कराकर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाये जाने हेतु प्रेरित किया जाये व लगवाया जाये। | 108 एम्बुलेंस के चालकों एवं ईएमटी की क्रियाशीलता का मूल्यांकन। | उच्च शिक्षा के छात्रों को सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा से संबधित जानकारी देने हेतु परिवहन, स्वास्थ्य एवं यातायात विभाग से जुड़े जनपद अधिकारी को आमंत्रित किया जाये। | 1. वर्ष 2019 एवं 2020 में चिन्हित अवशेष ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण,<br>2. पुल-पुलिया एवं अवैध कट का स्थलीय निरीक्षण द्वारा चिन्हांकन एवं चिन्हित कमियों के निराकरण हेतु कार्यवाही । | सार्वजनिक स्थानों जैसे- प्रमुख चैराहे, कलेक्ट्रेट, आर0टी0ओ0 कार्यालय, रोडवेज बस स्टैण्ड एवं मण्डी समिति पर नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, लोकगीत, गीत नाटय व गायक मण्डली के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना। |
| 6 | 10-01-2023 | मंगलवार | | | महाविद्यालय स्तर पर रोड सेफ्टी क्लबों के सदस्यों एंव अन्य छात्रों के द्वारा नुक्कड़ नाटक | | |
| 7 | 11-01-2023 | बुधवार | मोबाइल फोन का प्रयोग एवं ड्रंकन ड्राइविंग के विरुद्ध जागरूकता एवं चेकिंग की जायेगी। | सरकारी एम्बुलेंसेस् के मानव संसाधन औषधि | एन0एस0एस0 वालेंटियर द्वारा मलिन वस्ती एवं अभिगृहित गॉव | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | परिवहन निगम अपने चालकों एवं परिचालकों की नशा करके वस चलाने एवं ओवरस्पीडिंग के विरुद्ध चेंकिग कर उन्हें जागरूक करने की कार्यवाही। | एवं उपकरण की दक्षता एवं क्रियाशीलता का मूल्यांकन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट प्रेषण। | में जागरूकता अभियान (माध्यमिक व उच्च शिक्षा) | | |
| 8 | 12-01-2023 | गुरूवार | | | सी0आर0आर0आई0 दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षण के प्रवक्ताओं/प्राचार्यों का सड़क सुरक्षा जागरूकता का ऑनलाइन प्रशिक्षण | 1. वर्ष 2021 एवं 2022 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का अल्पकालिक सुधारीकरण। 2. पुल पुलिया में पायी जाने वाली कमियों का सुधार किया जाना। 3. अवैध कट को बंद कराये जाने हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग द्वारा कार्यवाही। 4. एन0आई0सी के रोल आउट मैनेजर के सहयोग से आई0रैड एप के प्रयोग हेतु अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, एवं अवर अभियंताओं का सघन प्रशिक्षण। | |
| 9 | 13-01-2023 | शुक्रवार | बस यूनियन के माध्यम से बसों के चालकों/परिचालकों को सड़क सुरक्षा के संबध में प्रशिक्षित किया जाना। ऑटो, टैम्पो, टैक्सी ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सहयोग से चालकों को सड़क सुरक्षा के संबध में प्रशिक्षण/जागरूक किया जाना। निगम के सभी बस स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा चालकों/ परिचालकों एवं यात्रियों को ऑडियो/विडियो सामग्री द्वारा सड़क सुरक्षा के संबध में जागरूक किया जाये। आकाशवाणी एवं एफ0एम0 रेडियो के माध्यम से सुरक्षित यातायात के संबध में जानकारी देना। | जिला स्तरीय अस्पतालों में चालकों एवं परीचालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण। | | | |
| 10 | 14-01-2023 | शनिवार | | | उच्च शिक्षण संस्थानों में गठित रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत एन0एस0 एस0 के छात्रों द्वारा निबंध एवं भाषण | | |
| 11 | 15-01-2023 | रविवार | जनपद स्तर पर महिलाओं की दोपहिया रैली | | | | |
| 12 | 16-01-2023 | सोमवार | एन0सी0सी0 कैडेट/ एनएसएस/स्काउट गाइड/रोवर रेंजर के छत्र छात्राओं एवं यातायात कर्मियों के सहयोग से प्रमुख चैराहों पर पैदल यात्रियों को सड़क सुरक्षा के प्रति प्रशिक्षित एवं जागरूक करना। | मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु मेडिकल/डेंटल/ पैरामेडिकल छात्रों में क्विज प्रतियोगिता | माध्यमिक स्कूली छात्रों द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित निबन्ध प्रतियोगिता ऑनलाइन/ ऑफलाइन गतिविधि। | | सभी सरकारी विज्ञापनों (दूरदर्शन, होर्डिंग तथा समाचार पत्र) में सड़क सुरक्षा संबंधी नारों का प्रकाशन। एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से |
| 13 | 17-01-2023 | मंगलवार | परिवहन निगम की बसों में निगम के अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा मानकों- सीटबेल्ट, बैक मिरर, बैक लाइट, इंडीकेटर, फॉग लाइट व रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के लगे होने का सत्यापन तथा न लगा पाये जाने पर लगाये | | माध्यमिक शिक्षा के छात्रों (एन0सी0सी0/एनएसएस/ स्काउट गाइड) के सहयोग से प्रमुख चैराहों पर पैदल यात्रियों को सड़क सुरक्षा के प्रति प्रशिक्षित एवं जागरूक करना। | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | जाने की कार्यवाही। | | | | सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों संबंधी ऑडियो-विडियो सामाग्री का प्रसारण। |
| 14<br>15 | 18-01-2023<br>19-01-2023 | बुधवार<br>गुरूवार | दिव्यांगजनों हेतु ड्राइविंग लाईसेंस एवं अन्य प्रावधानों के संबध में जागरूकता कार्यक्रम।<br>नो पार्किंग के विरूद्ध चेकिंग अभियान।<br>दोपहिया में तीन सवारी के विरूद्ध चेंकिग अभियान।<br>वाहनों में हूटर, सायरन व प्रेशर हॉर्न के विरूद्ध चेकिंग अभियान। | प्राइवेट वाहन चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच षिविर। | माध्यमिक शिक्षा के छात्रों को सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा से संबधित जानकारी देने हेतु परिवहन, स्वास्थ्य एवं यातायात विभाग से जुड़े जनपद अधिकारी को आमंत्रित किया जाये। | | |
| 16 | 20-01-2023 | शुक्रवार | सेव लाइफ फाउण्डेशन द्वारा वाहन चालकों को फर्स्ट रिस्पॉण्डर की ट्रेनिंग।<br>एन0एच0ए0आई0 के सहयोग से टोल प्लाजा पर रोड सेफ्टी कार्यक्रम एवं चालकों का हेल्थ चेकप कैम्प का आयोजन।<br>हाई वे पर अवैध पार्किंग के विरूद्ध चेंकिग अभियान। | प्रत्येक टोल-प्लाजा पर व्यावसायिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण। | रोड सेफ्टी क्लबों द्वारा माध्यमिक शिक्षा के छात्रों एवं उनके अभिभावकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना। | | |
| 17 | 21-01-2023 | शनिवार | ऑटो रिक्शा, ई. रिक्शा, साइकिल रिक्शा, बस व टैक्सी चालकों के संगठन के माध्यम से बैठक बुलाकर यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।<br>बिना ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के संचालित ई-रिक्शा चालकों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही ।<br>जनपद स्तर पर ई-रिक्शा के नियंत्रित संचालन हेतु मार्गो का निर्धारण।<br>सभी जनपदों में सार्वजनिक यात्री सेवायान से यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु जागरूक किया जाना इस हेतु परिवहन निगम अपने चालकों/परिचालकों को भी जागरूक करेगा। | सभी 108 सरकारी एवं निजी एम्बुलेंस का मानक के अनुरूप मूल्यांकन। | माध्यमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22-01-2023 | रविवार | परिवहन विभाग के सहयोग से समस्त स्कूली वाहनों की फिटनेस की जाँच।<br>परिवहन निगम की वसों में निगमं के अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा मानकों- सीटवेल्ट, वैक मिरर, वैक लाइट, इंडीकेटर, फॉग लाइट व रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के लगे होने का सत्यापन तथा न लगा पाये जाने पर लगाये जाने की कार्यवाही।<br>ओवरस्पीडिंग के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही। | | | | |
| 19 | 23-01-2023 | सोमवार | ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा, वस व टैक्सी चालकों के संगठन के माध्यम से बैठक वुलाकर यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।<br>बिना ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के संचालित ई-रिक्शा चालकों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही ।<br>जनपद स्तर पर ई-रिक्शा के नियंत्रित संचालन हेतु मार्गों का निर्धारण।<br>सभी जनपदों में सार्वजनिक यात्री सेवायान से यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु जागरूक किया जाना इस हेतु परिवहन निगम अपने चालकों/परिचालकों को भी जागरूक करेगा। | सभी 108 सरकारी एवं निजी एम्बुलेंस का मानक के अनुरूप मूल्यांकन । | विद्यालय स्तर पर विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन। | समस्त निर्माण एजेंसी के स्वामित्व वाले समस्त वाहनों पर मानकानुसार रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाये जाने की कार्यवाही। | सार्वजनिक स्थानों जैसे- प्रमुख चौराहे, कलेक्ट्रेट, आर0टी0ओ0 कार्यालय, रोडवेज बस स्टैण्ड एवं मण्डी समिति पर नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, लोकगीत, गीतनाट्य व गायक मण्डली के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना। |
| 20 | 24-01-2023 | मंगलवार | जनपद स्तर पर ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।<br>निगम के सभी बस स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा चालकों/ परिचालकों एवं यात्रियों को ऑडियो/विडियो सामग्री द्वारा सड़क सुरक्षा के संबध में जागरूक किया जाये। | मेडिकल, दंत चिकित्सा एवं पैरामेडिकल के छात्रों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला। | प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गठित स्कूल प्रबंध समिति की बैठक में अभिवावकों को आमंत्रित कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना। | समस्त मार्गों पर पूर्व से लगे हुए रोड साइनेज का आवश्यकतानुसार रिपेयर/ रिपलेसमेंट/रिलोकेट करने हेतु स्थलीय निरीक्षण एवं चिंहीकरण की कार्यवाही किया जाना तथा उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण किया जाना। | |
| 21 | 25-01-2023 | बुधवार | | | मास्टर ट्रेनर एवं प्रधान अध्यापकों के माध्यम से बेसिक | रोड साइनेज की स्पष्ट दर्शयता हेतु साफ-सफाई एवं | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | शिक्षा विभाग के छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाये। | आस-पास उगी झाड़ियों की छटाई किया जाना। | |
| 22 | 26-01-2023 | गुरुवार | ध्वजारोहण के पश्चात संविधान की प्रतिज्ञा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण। | | | | |
| 23 | 27-01-2023 | शुक्रवार | समस्त जनपदों में परिवहन विभाग के कार्यालयों को जोड़ते हुए यूनाइटेड वे मुम्बई द्वारा सेफ ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाना। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समस्त विभागों के प्रशिक्षणार्थी जनपद के परिवहन कार्यालयों में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। | | | | सभी सरकारी विज्ञापनों (दूरदर्शन, होर्डिंग तथा समाचार पत्र) में सड़क सुरक्षा संबंधी नारों का प्रकाशन। एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों संबंधी ऑडियो-विडियो सामाग्री का प्रसारण। |
| 24 | 28-01-2023 | शनिवार | सामान्य बीमा कम्पनी (GIC) के सहयोग से सड़क सुरक्षा में मोटर वाहन बीमा विषय पर वर्कशॉप का आयोजन।<br>ड्राइविंग लाइसेंस व बीमा के विरूद्ध चेंकिग अभियान।<br>निगम के सभी बस स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा चालकों/ परिचालकों एवं यात्रियों को ऑडियो/विडियो सामग्री द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाये। | आई0रेड एप का सघन प्रशिक्षण- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग | जनपद स्तर के बेसिक शिक्षकों एवं नगर क्षेत्र के छात्रों को सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा से संबधित जानकारी देने हेतु परिवहन, स्वास्थ्य एवं यातायात विभाग से जुड़े जनपद अधिकारी को आमंत्रित किया जाये। | 1. वर्ष 2021 एवं 2022 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के अल्पकालिक सुधारीकरण,<br>2. समस्त मार्गों पर पूर्व से लगे हुए रोड साइनेज का आवश्यकतानुसार रिपेयर/रिपलेसमेंट/रिलोकेट करने हेतु स्थलीय निरीक्षण एवं चिंहीकरण की कार्यवाही किया जाना तथा उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण किया जाना।<br>3. रोड साइनेज की स्पष्ट दृश्यता हेतु साफ-सफाई एवं आस-पास उगी झाड़ियों की छटाई किया जाना। | |
| 25 | 29-01-2023 | रविवार | सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु समस्त विभागों द्वारा जनपद स्तर पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाना तथा समापन के समय सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना। | | | | |
| 26 | 30-01-2023 | सोमवार | लेन ड्राइविंग एवं रांग साइड ड्राइविंग के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान जिसमें परिवहन निगम के चालकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी तथा सम्बन्धित अपराधों की प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी। | आई0रेड एप का सघन प्रशिक्षण- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग | उच्च शिक्षण संस्थानों में गठित रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत एन0एस0एस0 के छात्रों द्वारा पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता। | | |
| 27 | 31-01-2023 | मंगलवार | हेल्मेट एवं सीटबेल्ट के संबध में लोगों को जागरूक करना एवं चेकिंग अभियान। (शहरी क्षेत्र)<br>परिवहन निगम अपने चालकों परिचालकों की नशा करके बस चलाने एवं ओवरस्पीडिंग के विरूद्ध चेंकिग कर उन्हें जागरूक करने की कार्यवाही की जायेगी। | प्रत्येक क्रियाशीलता ट्रामा सेन्टरों में मानव संसाधन, औषधि एवं उपकरण की उपलब्धता की मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर समीक्षा एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट प्रेषण। | रोड सेफ्टी क्लबों के सदस्यों द्वारा हेल्मेट, सीटबेल्ट, मोबाइल फोन, ड्रंकन ड्राइविंग व रांगसाइड के संबध में लोगों को जागरूक करना। (माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग) | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01-02-2023 | बुधवार | हेल्मेट एवं सीटबेल्ट के संबध में लोगों को जागरूक करना एवं चैकिंग अभियान। (ग्रामीण क्षेत्र)<br>परिवहन निगम अपने चालकों परिचालकों की नशा करके वस चलाने एवं ओवरस्पीडिंग के विरूद्ध चैकिंग कर उन्हें जागरूक करने की कार्यवाही की जायेगी। | आई0रेड एप का सघन प्रशिक्षण- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग | | | |
| 29 | 02-02-2023 | गुरूवार | जनपद स्तर पर सड़क सुरक्षा के प्रति कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा नवोन्मेषी कार्यक्रम की प्रस्तुति (ऑनलाइन/ऑफलाइन) जिसमें परिवहन निगम के जनपद स्तरीय अधिकारी अपना प्रतिभाग सुनिश्चित करेंगे।<br>अपरान्ह में ओवरलोडिंग के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही।<br>विना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही। | मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधित समस्त कार्यक्रमों का रिपोर्ट संकलन, समीक्षा एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट प्रेषण। | प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के छात्रों द्वारा पोस्टर क्विज एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। | | सभी सरकारी विज्ञापनों (दूरदर्शन, होर्डिंग तथा समाचार पत्र) में सड़क सुरक्षा संबंधी नारों का प्रकाशन। एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों संबंधी ऑडियो-विडियो सामाग्री का प्रसारण |
| 30 | 03-02-2023 | शुक्रवार | | | जिला विद्यालय निरीक्षक/ बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधित समस्त कार्यक्रमों की रिपोर्ट का संकलन एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट प्रेषण। | लोक निर्माण विभाग द्वारा समस्त सड़क निर्माण एजेंसी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्तानुसार समस्त कार्यक्रमों की रिपोर्ट संकलन, समीक्षा एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट प्रेषण। | |
| 31 | 04-02-2023 | शनिवार | <u>समापन समारोह का आयोजन</u>-<br>जिला स्तर पर गुड सेमेरिटन, ट्रैफिक पुलिस, चिकित्सकों को रोड सेफ्टी चैम्पियन के तौर पर सम्मानित करना जिसमें परिवहन निगम प्रत्येक जनपद से अपने चालकों/ परिचालकों में से तीन श्रेष्ठ चालकों परिचालकों को भी सम्मानित करायेगा।<br>प्रत्येक जनपद में सर्वश्रेष्ठ तीन मास्टर ट्रेनर को शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाना। | | | | |

नोट- माह के प्रत्येक दिवस पब्लिक एड्रेस सिस्टम/एल0ई0डी0 स्क्रीन/एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से सड़क सुरक्षा का ऑडियो-विजुअल प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा शिविर, सेमिनार, रैली के कार्यक्रमों के अंत में तथा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में प्रार्थना सभा में प्रार्थना के उपरान्त सड़क सुरक्षा शपथ दिलाया जाना।